पत्रांक—2ब० / जला०—01—14 / 2017 2882 / न०वि०एवंआ०वि०

*ई—मेल स्पीड पोस्ट / निबंधित डाक

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राम सेवक प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, मुजफ्फरपुर।

पटना, दिनांक— 28/5/18

विषयः— वित्तीय वर्ष 2018—19 में मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजनान्तर्गत मुजफ्फरपुर नगर निगम के 49 वार्डो में 4235 घरों में नल का जल कनेक्शन, आवश्यक पाईप लाईन एवं मिनी पम्प अधिष्ठाप हेतु ₹630.39600 लाख (छः करोड़ तीस लाख उनचालीस हजार छः सौ रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नगर आयुक्त, नगर निगम, मुजफ्फरपुर के पत्रांक— 804, दिनांक— 05.05.2018 एवं पत्रांक— 923, दिनांक— 25.05.2018 द्वारा मुजफ्फरपुर नगर निगम के 49 वार्डो में कुल 49 योजनाओं के अन्तर्गत कुल 4235 घरों में नल का जल कनेक्शन हेतु ₹630.39600 लाख (छः करोड़ तीस लाख उनचालीस हजार छः सौ रु०) मात्र का तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया है।

2. नगर निगम, मुजफ्फरपुर क्षेत्रान्तर्गत जलापूर्ति योजना हेतु बुडको द्वारा समेकित DPR तैयार कराया जा रहा है। इसमें विलम्ब को देखते हुए तत्काल निगम क्षेत्र में पेयजल समस्या को दूर करने हेतु सभी 49 वार्डों में एक मिनी पम्प तथा आवश्यक पाईप लाईन के साथ कुल 4235 घरों में नल जल संयोजन करने हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम, मुजफ्फरपुर द्वारा तकनीकी अनुमोदनोपरांत प्राक्कलन उपलब्ध कराते हुए स्वीकृति का अनुरोध किया गया है।

3. नगर आयुक्त, नगर निगम, मुजफ्फरपुर के उक्त पत्र के आलोक में योजना की प्रशासनिक स्वीकृति निम्नवत प्रदान की जाती है :—

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	वार्ड सं०	अधिष्ठापित किये जाने वाले विभिन्न आकारों के पाईप की कुल लम्बाई (मीटर में)	House Hold की संख्या, जिन्हें House Connection दिया जाना है।	तकनीकी अनुमोदन/ प्रशासनिक स्वीकृति की राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	नगर निगम, मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर नगर निगम के वार्ड सं०— 01 से 49 में कुल 49 योजनाओं के अन्तर्गत कुल 4235 घरों में नल—जल कनेक्शन (House Connection) कार्य।	1	579.26	168	15.43000
2			2	259.14	30	8.51900
3			3	457.32	70	13.30000
4			4	487.81	100	13.91600

5				5	282.01	30	5.43500
6				6	381.11	110	12.49900
7				7	442.07	60	12.10500
8				8	564.02	80	15.00400
9				9	320.12	65	10.43200
10				10	312.51	65	9.76500
11				11	320.12	60	10.06000
12				12	396.35	45	11.14700
13				13	320.12	65	10.00400
14				14	213.41	35	7.86200
15				15	777.44	125	19.32000
16				16	350.62	125	11.76700
17				17	290.04	70	10.10800
18				18	442.07	50	12.06900
19				19	198.18	25	7.36100
20				20	350.61	50	10.43800
21				21	655.49	118	17.18100
22				22	777.44	80	18.46800
23				23	487.80	70	13.53500
24				24	381.10	45	10.94600
25				25	320.13	115	11.04800
26				26	792.68	91	19.56000
27				27	472.56	110	13.53600
28				28	441.97	65	12.39900
29				29	442.07	42	12.04700
30				30	533.53	100	14.56400
31				31	533.53	100	14.56400
32				32	472.56	240	15.94900
33				33	350.62	34	10.48900
34				34	289.63	122	10.60600
35				35	548.77	65	14.60100
36				36	320.13	82	10.75700
37				37	503.06	40	13.44000
38				38	868.90	382	24.94600
39				39	1051.83	190	24.92500

40			40	318.37	120	11.09600
41			41	335.37	29	10.12400
42			42	503.04	40	13.14500
43			43	442.07	102	12.86600
44			44	381.09	45	10.84800
45			45	533.54	80	14.86600
46			46	320.12	50	9.97200
47			47	442.07	75	12.60000
48			48	350.62	75	11.01000
49			49	503.05	100	13.76700
कुल योग				**22117.47**	**4235**	**630.39600**

4. योजना का कार्यान्वयन निम्नांकित शर्तों के अधीन किया जायेगा :–

(i) योजना का कार्यान्वयन बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा तैयार किये गये एवं अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनुमोदित मॉडल प्राक्कलन के आधार पर किया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन हेतु संशोधित मार्गदर्शिका भी निर्गत किया जा चुका है। उक्त प्राक्कलन एवं संशोधित मार्गदर्शिका विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है, जिसकी सूचना विभागीय पत्रांक– 123, दिनांक– 11.01.2017 द्वारा सभी नगर निकायों एवं जिला शहरी विकास अभिकरणों को दिया जा चुका है। नगर निकाय द्वारा योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा। योजना के संधारण के लिए अलग से दिशा–निर्देश निर्गत किया जायेगा।

(ii) नगर निकाय द्वारा प्रत्येक House Hold Connection देने के क्रम में मकान मालिक का नाम, पता, आधार नम्बर, मोबाईल नं० एवं तस्वीर अपने अभिलेख में रखने के अतिरिक्त उनसे एक प्रमाण पत्र भी लेना सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके घर में नल का जल उपलब्ध हो गया है। नल जल कनेक्शन से संबंधित सारी जानकारी विभाग द्वारा विकसित MIS पर Upload किया जायेगा।

(iii) **योजना का कार्यान्वयन ई–टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।**

(iv) क्रय संबंधी मामलों में विधिवत क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त कर क्रय किया जायेगा।

(v) राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही योजना के कार्यान्वयन का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(vi) उक्त योजना इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि जलापूर्ति योजना का डुप्लीकेशन किसी अन्य योजना के तहत कार्यान्वित की जा रही/की गई योजना से किसी भी परिस्थिति में न हो।

(vii) उक्त प्रत्येक वार्ड की योजना के कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना का मद उसकी लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

5. मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना से संबंधित संकल्प सं०– 1287, दिनांक– 25.02.2016 की कंडिका– 05(i) के अनुरूप 14वें वित्त आयोग एवं पंचम राज्य वित्त आयोग मद की कर्णांकित 30 प्रतिशत राशि, जो मुजफ्फरपुर नगर निगम के पास उपलब्ध है, में से उक्त योजना का कार्यान्वयन कराया जाएगा।

6. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

7. विभागीय संकल्प संख्या–1287, दिनांक– 25.02.2016 के कंडिका– 06 के अनुरूप अनुश्रवण की व्यवस्था एवं कंडिका– 07 के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण की व्यवस्था की जायेगी।

8. योजना का कार्यान्वयन विभागीय संकल्प संख्या– 1287, दिनांक– 25.02.2016 तथा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। स्वीकृत राशि का व्यय उसी कार्य के विरूद्ध किया जायेगा, जिसके निमित राशि स्वीकृत की गई है।

9. इसकी सूचना प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/प्रबंध निदेशक, बुडको/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/जला०–01–14/2017 2882/न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 28/5/18

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/प्रबंध निदेशक, बुडको/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–2, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को वेवासाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई०मेल करने हेतु/कार्यवाह सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।